

24.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाशसिंह उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मूल अपील आज को निर्णित होकर प्रतिप्रेषित हो चुकी है। अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर,सिरोही

